[TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA-ORDINARY]

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION OLD SECRETARIAT: DELHI – 110054

Dated 09.04. 2014

NOTIFICATION

No.F.23 (7)/DE/RTE/2011/9/9-93/ In exercise of powers conferred by section 38 and sub-section (1) of section 34 of The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Lieutenant Governor National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the State Advisory Council as per following composition:-

Chairperson

Principal Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi.

Ex-officio Members

- 1. Director (Education), Govt. of NCT of Delhi.
- 2. Director, State Council of Educational Research and Training.
- Chairperson, Delhi Commission for Protection of Child Rights.
- Special Project Director (Sarv Shiksha Abhiyan).
- Additional Director of Education (Schools), Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.

The function of the State Advisory Council shall be to advise the State Government on implementation of the provisions of the RTE Act in an effective manner.

This order will remain in force till the new elected State Government takes office in NCT of Delhi.

By Order and in the name of Lt. Governor of NCT of Delhi,

(Dr. Madhu Rani Teotia) (IAS)

Additional Secretary (Education)

Copy to:-

- 1. Secretary, MHRD, Govt of India.
- 2. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
- 3. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. Pr. Secretary (Education), Govt. of NCT of Delhi.
- 5. Director (Education), Govt. of NCT of Delhi.
- Director (Education), Municipal Corporations of Delhi (East/North/South).
- 7. Director (Education), New Delhi Municipal Council.
- 8. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.
- Director, Directorate of Information and Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 10.All Addl. Directors/RDs/JDs/DDEs/ADEs of Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 11.All Branch Incharges, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 12.OS (IT) with the request to place it on the website of the Department.

13.Guard file.

(Dr. Madhu Rani Teotia) (IAS)

Dated: 09.04.2014

Additional Secretary (Education)

(दिल्ली राजपत्र भाग— IV असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय पुराना सचिवालय, दिल्ली—54.

दिनांकः 09.04.2014

अधिसूचना

सं0फा0 23(07)/डीई/आरटीई/2011/9/9-93/ .—नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 तथा धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसंके द्वारा निम्नलिखित संरचना अनुसार राज्य सलाहकार परिषद् गठित करते हैं :—

अध्यक्ष

प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

पदेन सदस्य

1. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. निदेशक, राजकीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्।

अध्यक्ष, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

विशेष परियोजना निदेशक (सर्व शिक्षा अभियान)

 अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

शिक्षा अधिकार अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना राज्य सलाहकार परिषद् का प्रकार्य होगा।

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नई निर्वाचित राज्य सरकार के कार्यभार ग्रहण करने तक प्रभावी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से, उनके नाम पर,

Hay Nainyi

(डॉo मधु रानी तेवतिया) (आईएएस) अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

दिनांक: 09.04.2014

सं0फा0 23(07) / डीई / आरटीई / 2011 / 9/9 - 93/ प्रतिलिपि निम्न को :-

- 1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- प्रधान सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम (पूर्व / उत्तर / दक्षिण)।
- निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
- निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 10. समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
- 11. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 12. कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को विभाग की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।

13. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)